मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/ एफ 14-16/2013/56 भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 2015

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय: आईटी क्षेत्रीय क्षमता संवर्द्धन (ई-दक्ष) केन्द्रों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।

संदर्भ: विभाग का पत्र क्रमांक एफ-14-16/2013/56 दिनांक 12 जनवरी 2015

--00--

विषयांतर्गत प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों में IT क्षमता विकसित करने हेतु शासन के **"IT क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम"** अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित आई.टी. अधोसंरचना के तहत प्रदेश के 15 जिलों - **भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, देवास, सागर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, छतरपुर, सिवनी, गुना, खंडवा एवं मंदसौर** में क्षेत्रीय क्षमता संवर्द्धन (ई-दक्ष) केंद्र संचालित है। योजना का लाभ प्रदेश के समस्त शासकीय सेवको को पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त योजना का विस्तार करते हुए, प्रदेश के शेष 36 जिलों में भी क्षेत्रीय क्षमता संवर्द्धन केंद्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो रहे हैं।

2. उपरोक्त संदर्भित पत्र में क्षेत्रीय, क्षमता संवर्द्धन (ई-दक्ष) केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयों एवं व्यक्तिगत दैनंदिन उपयोग में आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स आधारित कार्यप्रणाली के अंतर्गत दक्षता से कार्यों के निर्वहन हेतु मानव संसाधन को तैयार किये जाने के संबंध में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में चलाये जा रहे विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी **परिशिष्ट-1** पर

संलग्न है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु एवं समयावधि संबंधित विभाग की सुविधा एवं आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय है।

3. **प्रशिक्षण केंद्र की विशेषताऐं -**

I. प्रशिक्षण केन्द्र में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है।

II. प्रशिक्षण केंद्र पर 25-30 प्रतिभागियों को एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है|

III. प्रशिक्षण केंद्र वातानुकूलित है।

IV. प्रशिक्षण केन्द्र पर समस्त प्रतिभागियों के लिए अत्याधुनिक कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था है।

V. प्रशिक्षण केंद्र में 2 अनुभवी आई.टी. प्रशिक्षकों की पदस्थापना की गई है जो प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करते है एवं केंद्र पर सभी कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवसों में उपस्थित रहते है।

VI. प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण विषय से संबंधित लेखन एवं पाठन सामग्री का भी वितरण किया जाता है जिससे प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान एवं पश्चात विषय का अभ्यास करने में सहायता मिल सके।

VII. प्रशिक्षण केंद्र में आवश्यकतानुसार समय-समय पर अतिथि विद्वानों की भी व्यवस्था की जाती है।

VIII. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों का समावेश है।

IX. प्रशिक्षण पूरा होने पर समस्त प्रशिक्षणार्थियों का दक्षता परीक्षण किया जाता है एवं दक्ष प्रशिक्षणार्थियों को सम्बंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की ओर से प्रमाण-पत्र वितरित किये जाते हैं।

X. प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता के संबंध में ऑनलाईन फीडबैक प्राप्त किये जाते हैं ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार किये जा सके।

XI. प्रशिक्षण केंद्र का समय सभी कार्यालयीन कार्य दिवसों में प्रातः10.30 से सायं 5.30 तक है।

4. **प्रशिक्षण शुल्क**

सामान्यत: सभी प्रशिक्षण सशुल्क आयोजित होते हैं तथा उपयोगकर्ता विभाग/कार्यालय को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रशिक्षण शुल्क अंतर्गत प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षक, रखरखाव, जलपान आदि सुविधाओं की लागत सम्मिलित होती है। यदि कोई विभाग स्वयं के संसाधनों से किसी विशेष आई.टी. प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु केवल प्रशिक्षण केन्द्र परिसर का उपयोग करना चाहता हो तो निर्धारित केन्द्र उपयोग शुल्क के साथ उक्त प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित समय के लिए संबंधित विभाग के लिए अस्थाई रूप से आरक्षित किया जा सकता है।